<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 761 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:-29 / 10 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504005072014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि रू द्व

भोलू पिता भाऊराव उइके, उम्र 20 वर्ष, निवासी गोरखनाथ मंदिर के पास, आमला,थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 09.09.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 26.08.2014 को समय शाम 04:00 बजे गोरखनाथ मंदिर के पास वार्ड नं. 2 थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी राकेश को लोहे की कैंची से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.08.2014 को अभियुक्त भोलू और आशीक दोनों एक दूसरे को फरियादी के घर के सामने गाली दे रहे थे जिस पर उसने कहा कि मेरे घर के सामने हल्ला मत करो उधर जाओ। इसी बात पर से अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद तू बोलने वाला कौन होता है कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिये। उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त भोलू ने उसे सिर पर कैची से मारा जिससे उसे खून निकला। अभियुक्त आशीक ने उसे हाथ थप्पड़ से दोनों गाल एवं पीठ पर मारा जिससे उसे चोटें आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 687/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त भोलू से एक पुरानी लोहे की कैची जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त भोलू एवं आशीक से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा.द.सं के

अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त भोलू के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

5

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.08.2014 को समय शाम 04:00 बजे गोरखनाथ मंदिर के पास वार्ड नं. 2 थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी राकेश को लोहे की कैंची से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 राकेश (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह अभियुक्त भोलू को जानता है। घटना लगभग दो साल पुरानी होकर वार्ड नं. 2 आमला की शाम 4 बजे की है। घटना के समय भोलू ओर आशीक उसके घर के सामने एक दूसरे को गालियां दे रहे थे तो उसने उन्हें गालियां देने से मना किया जिस पर दोनों ने उसे गंदी गंदी गालियां देकर हाथ थप्पड़ से मारपीट किया था जिससे उसे सिर पर चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी जो (प्रदर्श प्री—1) है।
- 7 राकेश (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा मारपीट किया जाना बताया है परंतु साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियुक्त भोलू द्वारा उसके सिर पर कैची से मारकर चोट पहुचाये जाने की बात को गलत बताया है।
- 8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की जाना प्रमाणित होता है परंतु धारदार हथियार कैची से आहत / फरियादी को चोट आयी ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी राकेश को धारदार कैची से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त भोलू को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की कैची अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)